

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] No. 191

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2010/अग्रहायण 19, 1932

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 219

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2010/AGRAHAYANA 19, 1932

[N.C.T.D. No. 219

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2010

फा. सं. 4(7)/यू.डी./डीयूएसआईबी/2010/20020-20044.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उक्त अधिनियम के उद्देश्यों पर कार्य करने के लिए "दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड" (इसके पश्चात् जिसे "बोर्ड" कहा गया है) नामक प्राधिकरण का गठन करते हैं :--

- इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शमिल होंगे अर्थात् :—
- (i) मुख्यमंत्री, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
- (ii) मंत्री शहरी विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, —उपाध्यक्ष दिल्ली सरकार
- (iii) श्री अमरनाथ, आई. ए. एस.
- अधिकारी
- (iv) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बिट्टू), विधायक
- (v) श्री प्रहलाद सिंह साहनी, विधायक
- (vi) श्री एस. पी. रातावाल, विधायक
- (vii) पार्षद, दिल्ली नगर निगम
- (viii) पार्षद, दिल्ली नगर निगम
- मुख्य कार्यकारी
- सदस्य
- _सदस्य
- _सदस्य
- मनोनीत किया जाना है
- —मनोनीत किया जाना है

- (ix) श्री गोपाल के सक्सैना, मु. का. अ., बी.एस.ई.एस.
- --सदस्य (ऊर्जा) नियुक्त किया
- (x) सदस्य (अभियान्त्रिकी)
- जाना है नियुक्त किया
- (xi) सदस्य (वित्त)
- जाना है नियुक्त किया
- (xii) सदस्य (प्रशासन)
- जाना है
- (xiii) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
- (xiv) आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
- -पदेन —पदेन
- —पदेन
- (xv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड
- (xvi) अध्यक्ष, नई दिल्ली पालिका परिषद् - पदेन —पदेन
- (xvii) प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
- (xviii)डॉ. एम.एम.कुटटी, संयुक्त सचिव —पदेन (डी.एल.), प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- (xix) श्री के. धर्मराजन, पूर्व सचिव (शहरी विकास), भारत सरकार
- —विशेषज्ञ (गैर-सरकारी)
- श्रीमती रेखा दीवानी, वास्तुकार नियोजक
- विशेषज्ञ (गैर-सरकारी)

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 10th December, 2010

F. No. 4(7)/UD/DUS1B/2010/20020-20044.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, constitutes an authority to be called "The Delhi Urban Shelter Improvement Board" (hereinafter referred to as "the Board") for carrying out the purposes of the said Act in the National Capital Territory of Delhi.

The Board shall consist of the following namely:—

(i)	Chief Minister, Govt. of NCT of	Chairperson
	Delhi	
1000		2.0

Executive Officer

(ii) Minister of Urban Development, —Vice-Government of NCT of Delhi Chairperson
(iii) Shri Amar Nath, IAS —Chief

(iv) Shri Surinder Pal Singh (Bittoo), —Member MLA

(v) Shri Prahlad Singh Sawhney, MLA -- Member

(vi) Shri S.P. Ratawal, MLA —Member

(vii) Councillor, Municipal Corporation —To be of Delhi nominated

(viii) Councillor, Municipal Corporation —To be of Delhi nominated (ix) Shri Gopal K. Saxena, CEO, BSES — Member (Power)

(x) Member (Engineering) — To be appointed

(xi) Member (Finance) —To be appointed

(xii) Member (Administration) —To be appointed

(xiii) Vice Chairman, Delhi Development —ex-officio Authority

(xiv) Commissioner, Municipal Corpora-—ex-officio tion of Delhi

(xv) Chief Executive Officer, Delhi Jal —ex-officioBoard

(xvi) Chairperson, New Delhi Municipal —ex-officio Council

(xvii) Principal Secretary, Department of —ex-officio Urban Development, Government of NCT of Delhi

(xviii) Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary —Ex-officio (DL), Representative of Ministry of Urban Development, Government of India

(xix) Shri K. Dharmarajan, Former —Expert (Non-Secretary (UD) Govt. of India official)

(xx) Mrs. Rekha Dewani, Architect —Expert (Non-Planner official)

> By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > B. V. SELVARAJ, Prl. Secy.